बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग,
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
दोन नहर प्रमंडल, रामनगर,

Email-ID : eedbcramnagar@rediffmail.com

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03/2023–24

पत्रांक : ..../ रामनगर, दिनांक : ..../

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :– कार्यापालक अभियंता, दोन नहर प्रमण्डल, रामनगर।
2. निविदा आमत्रण सूचना निर्गत करने के तिथि :– 24.01.2024
3. निविदा प्रपत्र बिक्री की तिथि :– 03.02.2024 से 08.02.2024 तक (कार्यालय अवधि में)
4. निविदा प्रपत्र प्राप्ति की तिथि/समय– 09.02.2024, 3:00 बजे अपराहन तक।
5. निविदा प्रपत्र (तकनिकी बिड़) खोलने की तिथि/समय–09.02.2024, 3:30 बजे अपराहन से।
6. निविदा विपत्र बिकी एवं प्राप्ति का स्थानः– 1. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।
   2. अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, बेतिया।
   3. कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर।
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समयः– सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी।
8. कार्य की विवरणीः–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (परिमाण विपत्र की राशि) (लाख रु0 में)	अग्रधन की राशि (रुपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्यः (रुपये में)	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य क्षेत्र से संबंधित जिला
1.	दोन नहर प्रमंडल, रामनगर (प0–चम्पारण) के अन्तर्गत निरीक्षण भवन का मरम्मति कार्य	5.00	10000.00	750.00	15.03.2024	प0 चम्पारण
2.	दोन नहर प्रमंडल, रामनगर कार्यालय एवं आवास सं0–डी01 का आवश्यक मरम्मति कार्य।	1.30	2600.00	500.00	15.03.2024	प0 चम्पारण

24/01/24

कार्यपालक अभियंता,
दोन नहर प्रमंडल, रामनगर।

24.01.24

नियम एवं शर्त्तें :

9. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत एवं 100/– रुपये के गुणक में होगा, जमा करना होगा।
10. निविदा के समय अग्रधन के रुप में विभाग द्वारा निबंधन पत्र में अंकित नाम से निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र (आठवॉं निर्गम), डाकघर सावधि जमा 1/2/3 वर्षीय पासबुक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत सावधि जमा पासबुक जो न्यूनतम 6 माह के लिए मान्य हो एवं **कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर** के पदनाम से विधिवत अद्यतन प्रतिज्ञिप्त होना चाहिए, ही मान्य होगा। निविदा सूचना तिथि के पूर्व प्रतिज्ञिप्त अग्रधन की मान्यता नहीं दी जायेगी ।
11. अधोहस्ताक्षरी/विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कभी भी बिना कारण बताये निविदा स्थगित या रद्द किया जा सकता है।
12. निविदा दस्तावेज, निविदा प्रपत्र वर्णित मूल्य के भारतीय स्टेट बैंक का बैंकड्राफ्ट जो **K A D PRAMANDAL RAMNAGAR (A.C No.- 11433187235)** के पदनाम से निर्गत एवं **हरिनगर शाखा** में भुगतेय जमा करने पर निर्गत किया जाएगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा।
13. निविदा दस्तावेज के सभी पृष्टों पर संवेदक को तिथियुक्त हस्ताक्षर करना अनिवार्य है अथवा सभी मुहरबन्द लिफाफे पर ग्रुप संख्या एवं अपना पूरा पता, मोबाईल संख्या एवं E-Mail सहित अंकित करना अनिवार्य होगा।
14. निविदा दो मुहरबंद (लाह/चपड़ा से सील) लिफाफे में क्रमांक 01 एवं 02 जिसमें क्रमशः तकनीकी बीड तथा प्राईस बीड रहेगा को समर्पित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को क्रमांक–06 में उल्लेखित सभी कार्यालयों में मात्र तकनीकी वाले लिफाफे को ही खोला जायेगा। तकनीकी बीड के सफल निविदाकारों के दूसरे लिफाफा (जिसमें प्राईस बीड रहेगा) को बाद में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निविदाकारों को सूचित कर निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। जो निविदाकार तकनीकी बीड में असफल होगें उनका प्राईस बीड उसी रूप में उन्हें लौटा दिया जायेगा। तकनिकी बिड़ लिफाफा में संवेदक निबंधन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र (सत्यापित छाया प्रति) , शपथ पत्र, कार्य का अग्रधन राशि होना चाहिए।
15. विभाग द्वारा निर्गत पहचान पत्र या अध्यतन निबंधन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर ही निविदा दस्तावेज निर्गत किया जाएगा। परिमाण–विपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा।
16. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 447 (S) सह पठित ज्ञापांक 448 (S) पटना दिनांक 18.01.2020 द्वारा सभी प्रकार की निविदाओं में निविदत दर की न्यूनतम अधिसीमा, अनुसूचित दर से 10 (दस) प्रतिशत् कम दर समाप्त करते हुए परिमाण–विपत्र की दर से कम दर उद्धत करने वाले निविदा के लिए अतिरिक्त कार्य प्रतिभूत (Additional Performance Gurantee) लेने के प्रावधान को पत्रांक 449 (S) पटना दिनांक 16.01.2020 द्वारा लागू कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–536, दिनांक–18.07.2023 पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 4439(E), दिनांक–17.07.2023 के आलोक में CWJC No 9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–06.07.2023 को प्रकाशित निर्णय के आलोक में निविदित दर कि न्यूनतम दर की सीमा समाप्त कर दी गई है। प्रमाण विपत्र के दर से कम उद्धित दर निविदा के लिए Additional Performance Gurantee का प्रावधान किया गया है।
17. वित्तीय बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान निम्नतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
18. निविदा के पूर्व निविदादाता कार्यस्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट होकर ही निविदा डालेगें अन्यथा कार्य के दौरान या इसके बाद उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
19. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या– 13589 (एस), पटना, दिनांक –13.12.11के कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रु 25,00,000.00 (रु0 पच्चीस लाख) तक कें कार्यो के निविदा में श्रेणी – 4 में निबंधित संवेदक कार्य क्षेत्र पड़ने वाले जिला के अन्तर्गत ही भाग ले सकेंगें।
20. सरकार के परिपत्र एवं आदेश के आलोक में संवेदक के विपत्र से नियमानुसार आयकर ,G.S.T एवं Labour cess की राशि की कटौती कर विभाग के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा किया जायेगा साथ ही विभागीय पत्रांक–599 दिनांक 06.12.2019 के आलोक में मालिकाना फीस (SF) की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत् फलैट दर पर कटौती की जाएगी।

21. जिस संवेदक के विरुद्ध कालीकृत की कार्रवाई या अपराधिक मामला चल रहा हो उन्हें कार्य आवंटन से वंचित रखा जाएगा। कार्य करने के दौरान भी उक्त बात की जानकारी प्राप्त होने पर उनकी निविदा रदद् कर उनकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा विभाग को संसूचित कर दिया जाएगा।

22. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगी।

23. निविदाकारों द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों की सत्यता के संबंध में एक अद्यतन घोषणा 100+25(एक सौ पचीस) रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसका प्रारुप निम्नवत् है :–

" I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct , and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing."

24. सफल निविदादाता को प्रपत्र–F2 (क्लाउज–23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा। एकरारनामा के समय G.S.T श्रम अनुज्ञप्ति एवं पैन कार्ड अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा।

25. सफल निविदाकार को एकरारनामा के पूर्व एकरारित राशि का 05 (पांच) प्रतिशत् (निविदा के साथ संलग्न 02 प्रतिशत् अग्रधन की राशि सहित) जमानत के रूप में अग्रधन, विभाग द्वारा निबंधन पत्र में अंकित नाम से निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र (आठवॉ निर्गम), डाकघर सावधि जमा 1/2/3 वर्षीरू पासबुक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत सावधि जमा पासबुक जो न्यूनतम 6 माह के लिए मान्य हो एवं **कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर, प0 चम्पारण** के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त हो, जमा करना होगा।

26. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित शर्तो एवं स्वीकृत कार्य के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है तथा जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्तें निविदा के लिए मान्य होगी।

27. कार्य मुख्य शीर्ष–'2700' के अन्तर्गत व्यय होगा । कार्य कि प्राशानिक स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदत है।

28. कार्य में प्रयुक्त लघु खनिज की ढुलाई (Carriage) के सत्यापन हेतु संवेदक द्वारा ई–चालान समर्पित करने के उपरान्त ही उनको इस मद का भुगतान किया जाएगा।

29. कार्य आवंटन के पश्चात् एकरारनामा में निर्धारित अवधि के अनुरुप कार्य ससमय पूर्ण करना होगा अन्यथा जमा अग्रधन की राशि को जब्त कर ली जायेगी एवं संवेदक को विभागीय कार्यवाई हेतु अनुशंसा कर दी जाएगी।

30. इस कार्य हेतु आवंटन प्राप्त होने के पाश्चात् हीं संवेदक द्वारा कराये गये कार्य का भुगतान संभव होगा। विलम्ब के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

31. संवेदक को किए गए कार्य का भुगतान तभी होगा, जब सरकारी प्रतिष्ठित गुण नियंत्रण के कार्यालय से गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

32. विशेष जानकारी के लिए कार्य अवधि में अद्योहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय के सूचना पटट् पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,
दोन नहर प्रमंडल, रामनगर।

पत्रांक– 186 रामनगर, दिनांक– 24.01.024

प्रतिलिपिः–सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को 10 प्रति एवं एक सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकासन हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
दोन नहर प्रमंडल, रामनगर।
24.01.024